20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEE

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(13)

न्यायालय ... म0प्र

जिला ग्वालियर म0प्र0

प्र. क्र. / निगरानी / / अध्यक्ष / 2017

BR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा.0/2017/2414

श्री ... द्वारा आज दि 28-7-(को) प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 28.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0श्री लालाराम कृष्क ग्राम जारगा तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0
.....प्रार्थी

बनाम

हरिबल्लभ (मृतक)
वारिसान
1 सुखदेवी पत्नी स्व0श्री हरिबल्लभ
2 रामचन्द्र
3 विजय
4 आनंद
5 कालीचरन
6 लक्ष्मण पुत्रगण स्व0श्री हरिबल्लभ समस्त निवासीगण ग्राम जारगा तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0
7 नारायणप्रसाद पुत्रगण स्व0श्री लालाराम कृष्क ग्राम जारगा तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0
.....प्रतिप्रार्थीगण

2-8-17

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय नायब तहसीलदार वृत्त मेहरा तहसील व जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 79 / 2012–13 अ–6 में पारित आदेश दिनांकी 31.05.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थी की मॉ श्रीमती सरजूबाई पंत्नी स्व0श्री लालाराम के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्रामं जारगा तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित कुल किता–4 कुल रकवा साढे सात बीघा भूमि है उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थिनी की मॉ के नाम से बहैसियत भूमि स्वामी दर्ज है, उक्त भूमि प्रार्थिनी की मॉ को वर्ष 1985–86 में हुये बटवारा आदेश के द्वारा प्राप्त हुई थी और बटवारा आदेश के आधार पर सभी सहखातेदारों को उनके हिस्से के मुताबिक भूमि प्रदान की गयी थी जिसमें सभी सहखातेदारों अपनी सहमति प्रदान की थी । प्रार्थी की मॉ जो कि प्रार्थी के साथ रहती थी ओर प्रार्थी द्वारा उनकी सेवा ससुरा की गयी थी और उस सेवा से खुश होकर प्रार्थिनी की मॉ ने प्रार्थी के हक में रूबरू गवाहनों के समक्ष दिनांक 25.10.1985 को उपपंजीयक कार्यालय में वसीयतनामा निष्पादित किया था । प्रार्थी की मॉ की मृत्यु दिनांक 20.12.1993 को मृत्यु हो गयी थी और प्रार्थी द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया था प्रार्थी द्वारा वसीयतनामा के आधार पर मृतक सरजूबाई के स्थान पर अपना

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./ग्वालियर/भू.रा./2017/2414 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अत: संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, ग्वालियर को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 30.05.2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों। उभय पक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	